



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय Ministry of Textiles, भारत सरकार Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बीटीएम लेआउट, मडिवाला, बेंगलूरु-560 068

CSB Complex, BTM Layout, Madiwala, Bengaluru-560 068

सं. केरेबो/1(1)/2018-19/बजट/लेखा

दिनांक : 31.05.2018

परिपत्र


विषय : भत्तों की दरों में संशोधन-केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं निधि प्राप्त/नियंत्रित, अर्द्धसरकारी संगठन, स्वायत्त संगठन, संवैधानिक संगठन के कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय लागू करने-तत्संबंधी भत्तों के संशोधन को आहरित करने के संबंध में ।

संदर्भ : केन्द्रीय कार्यालय का पत्र सं. केरेबो-63(125)/2016-स्था-II दिनांक 29.05.2018

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ के प्रसंग में यह सूचित करना है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.07.2017 से का.जा. सं. 1/2/2-16-ईIII(ए) दिनांक 27.07.2017 के माध्यम से भारत सरकार, व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भत्तों की दरों में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संप्रेषित किया जाता है ।

इस संबंध में केरेबो की इकाइयों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भत्तों की संशोधित दरों को जून, 2018 के वेतन से अपनाया जाए । उपनिदेशक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय कार्यालय को केरेबो इकाइयों को भत्तों के संशोधन के लिए संशोधित पीआरएस अद्यतन करने के लिए संसूचित करने के लिए कहा गया था । दरों में संशोधन के फलस्वरूप जुलाई, 2017 से मई, 2018 तक की अवधि के लिए बकाया मंत्रालय से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होने पर आहरित किया जाए क्योंकि वर्ष 2018-19 के लिए केरेबो के लिए संस्वीकृत बजट आकलन पर्याप्त नहीं है । केरेबो ने अतिरिक्त अनुदान मंजूर करने एवं विमोचित करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध करने के लिए कार्रवाई पहले ही की है । अतः केरेबो की इकाइयों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जुलाई, 2017 से मई, 2018 तक की अवधि के लिए संशोधित भत्ते के बकाया के आहरण के लिए केन्द्रीय कार्यालय से आगे अनुदेशों की प्रतीक्षा करें ।

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



(आर. सतीश कुमार)

निदेशक (वित्त)

सेवा में,



केन्द्रीय रेशम बोर्ड **CENTRAL SILK BOARD**
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bangalore – 560068

NO CSB 1(1)2018-19/Budget/Accts

Dated: 31.05.2018

CIRCULAR

Sub: Revision of rates of allowances-extension of Government decision on the recommendations the 7th CPC in respect of employees of quasi-government Organisation, Autonomous Organisations, Statutory Bodies set-up and funded /controlled by the Central Government- Drawal of revision of allowances thereof-reg.

Ref: Central Office Letter No CSB 63(125) 2016-ES II dated 29.05.2018

With reference to the subject and reference cited above, it is to inform that the approval of the Competent Authority is conveyed for revision of rates of allowance as per 7th CPC recommendations as approved by GOI, Dept of Expenditure vide OM No 1/2/2-16-EIII (A) dated 27.07.2017 for the employees of the Central Silk Board wef 01.07.2017.

In this regard, it is hereby informed to the CSB units that the revised rates of allowances may be adopted from the June 2018 salary onwards. Deputy Director (Computer) of Central Office had been asked to communicate the modified PRS updation for revision of allowances to CSB units. The arrears on account of revision of rates for the period from July 2017 to May 2018 may be drawn on receipt of additional Grants from the Ministry since the BE for the year 2018-19 sanctioned to CSB is not sufficient. CSB had already taken action requesting the Ministry to sanction and release of additional Grants. Hence, the CSB units are hereby informed to await for further instructions for drawal arrears of revised allowances for the period July 2017 to May 2018 from Central Office.

This issues with the approval of Member Secretary


(R.SATHISH KUMAR)
DIRECTOR (FINANCE)

To